memorandum regarding delegation of legislative power and the financial memorandum accompanying it) in the Gazette, although no motion has been made for leave to introduce the Bill. In that case, it shall not be necessary to move for leave to introduce the Bill, and, if the Bill is afterwards introduced, it shall not be necessary to publish it again."

जो परमिशन मांगी गई थी वह श्री मोरारजी देसाई द्वारा मांगी गई थी । अब इस बिल को वह पेश नहीं कर रहे हैं । अब दूसरे मंत्री इस बिल को पेश कर रहे हैं । स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स एंड रीजंज जो भेजा गया है वह श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से भेजा गया है । जो कौरीजेंडा भेजा गया है वह भी श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से भेजा गया है । उन्हीं का नाम वहां लिखा हुआ है । जब सब चीजें बदल गई हैं तो यह जरूरी था कि आपकी परमिशन भी नए मंत्री महोदय मांगते । वह उन्होंने नहीं मांगी । पहले मंत्री ने मांगी थी लेकिन वह चले गये । इसलिए यह जरूरी था कि यह नई परमिशन मांगते और तब आप एग्जैम्पशन देते ।

दूसरी मेरी आपत्ति यह है कि यह मनी बिल है । इस में इनकम टैक्स वगैरह में राहत देने की बात कही गई है । कुछ एसेसीज को राहत दी गई है । अगर कुछ चीज होगी तो उनको उसके अन्दर राहत मिलेगी, यह इसमें कहा गया है । इसके अलावा कुछ फीस वगैरह को कम-ज्यादा भी किया गया है । डिटेल्ज वगैरह दे कर मैं साबित कर सकता हूं कि यह मनी बिल है...

MR. DEPUTY-SPEAKER : May I point out that we are on the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Bill ? It is not the Taxation Laws (Amendment) Bill. You are mixing up the two thoings. Let the Minister introduce that Bill. I will give you opportunity.

12.42 hrs.

COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL'S (DUTIES, POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : I beg to introduce a Bill to determine the conditions of service of the Comptroller and Auditor-General of India and to prescribe his duties and powers and for matters connected therewith or incidental thereto.

TAXATIONS LAWS (AMENDMENT) BILLS*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : I beg to introduce a Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax Act, 1958 and the Companies (Profits) Surtax Act, 1964.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा पहला एतराज यह है कि 64 के तहत वेव करने की जो चीज थी उसकी परमिशन पहले मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने ली थी । अगर अब ये इसको वेव कराना चाहते हैं तो इनका फर्ज था कि ये स्पीकर के पास जाते और फिर स्पीकर वेव करता ।

दूसरा मेरा एतराज यह है कि यह मनी बिल है । आप आर्टिकल 110 को देखें उसमें यह कहा गया है :

> "For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely :—
>
> (a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax" ;

जहां तक टैक्सों का सवाल है क्लाज 65 में एक राहत दी गई है । पहले पब्लिक कम्पनीज को कुछ राहत दी गई थी और अब सब को राहत दे दी है । पहले पब्लिक लिमिटेड

*Already published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated the 20th May, 1969, under Rule 64 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.